राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 28/2018

दायर दिनांकः–04.09.2018

1. प्रभुदयाल पुत्र रामधन जाति ब्राम्हण आयु 78 वर्ष, निवासी ग्राम जाजोता, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर राजस्थान।

.........प्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

.......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131, 132, 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते खातेदारी की आराजी के राजस्व ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती करवाने बाबत।

निर्णय

दिनांक 30.09.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जाजोता पटवार हल्का जाजोता भू0अ0नि0 क्षेत्र भदूण तहसील रूपनगढ में स्थित भूमि के खाता संख्या नया 212 खसरा नम्बर 107/1 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 22 बीघा 10 बिस्वा में से 6 बीघा भूमि दिनांक 06.04.2005 को अन्य व्यक्ति को बैचान करने से शेष आराजी वर्तमान में खसरा नम्बर 107/1 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी अवल है। उक्त सम्पूर्ण आराजी खसरा नम्बर 107 में अवस्थित थी जो कुल रकबा 46 बीघा 05 बिस्वा थी, उक्त आराजी का बिना किसी सक्षम न्यायालय या बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश, खसरा नम्बर 107 का विखण्डन करके खसरा नम्बर 107/1, 107/2, 107/3, 107/4 व 107/5 अंकित कर दिया गया है। अप्रार्थी व अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान का राजस्व प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.09.2010 को नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई थी, वरवक्त राजस्व ट्रेस में किसी भी प्रकार की तरमीम नहीं की गई थी एवं प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से अप्रार्थी के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 क धारा 53(2) की सहमति से भी कोई तरमीम नहीं करवाई गई थी। फिर भी बिना किसी सक्षम प्राधिकारी अथवा [illegible] अलग विखण्डन खसरा नम्बर अंकित कर दिये गये एंव राजस्व ट्रेस में [illegible] विधि विरूद्ध है। उक्त कृत्य को विलोपित करके नक्शे में इन्द्राज दुरूस्ती किया [illegible] आवश्यक है [illegible] मौके पर कोई काश्तकार से विवाद उत्पन्न नहीं हो। नक्शे में अलग से बिना [illegible] से तरमीम की है जो गलत है। जबकि वर्तमान राजस्व ट्रेस जो सवत 2027 का प्राप्त किया गया है उस नक्शे में भिन्नता प्रकट होती है। इस अन्तराल से नक्शे एवं मौके से मिलान नहीं होता है। जिससे प्रार्थी का अधिकार अभिलेख वर्णित आराजी एवं बिना विधिक प्रावधानों की तरमीम से राजस्व ट्रेस को रकबे के अनुसार छोटा करने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थी की कृषि भूमि मौके पर कम पड़ती है। खसरा नम्बर 107/4 के A to B भाग की तरमीम गलत की गई है। एवं नक्शे में भी त्रुटि पूर्ण अंकन है। जबकि पूर्व राजस्व ट्रेस में इस प्रकार की त्रुटि नहीं है। इस कारण मौके पर प्रार्थी का हिस्सा जमाबंदी के अनुसार इन्द्राज नहीं किया गया है जो राजस्व ट्रेस में इन्द्राज किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी को प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विधिक नोटिस दिनांक 16.08.2018 को जरिये डाक से भिजवाया गया था। जिसमें विधिक नोटिस के तहत हिदायत दी गई कि उक्त राजस्व ट्रेस में की गई अवैधानिक त्रुटि पूर्ण तरमीम को निरस्त करके प्रार्थी के खसरा नम्बर 107/1 का अधिकार अभिलेख में वर्णित रकबे के अनुसार राजस्व ट्रेस में तरमीम की जावे एवं पूर्व में की गई त्रुटि पूर्ण तरमीम को निरस्त कर मूल खसरा नम्बर 107 रखा जावे परन्तु अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त दिये गये नोटिस की किसी प्रकार से कोई प्रभावी पालना नहीं करने से माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। अप्राथी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से भी प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम जाजोता की वर्तमान सेग्रीगेशन जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019 से स्थाई) के खाता संख्या 221 में ख0न0 107 रकबा 2.6697 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी प्रभूदयाल पुत्र रामधन हिस्सा पूर्ण जाति ब्राम्हण सा0देह खातेदार के नाम दर्ज है। पूर्व में जमाबंदी संवत 2061 से 2064 के खाता संख्या 149 में ख0न0 107/1 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा प्रभूदयाल वल्द रामधन कौम ब्राम्हण सा0देह खातेदार के नाम दर्ज थी, जिसमें से जरिये नामान्तकरण संख्या 680 स्वीकृत दिनांक 07.07.2005 के अनुसार खातेदार प्रभुदयाल वल्द रामधन द्वारा बैचान करने पर क्रेता राधा देवी पत्नी रामकुमार कौम ढोली के नाम ख0न0 107/1/1 रकबा 06 बीघा दर्ज हुआ। जिसके नवीन ख0न0 107/5 दर्ज हुए एवं शेष भूमि ख0न0 107/1 रकबा 16–10 बीघा भूमि प्रभुदयाल पुत्र रामधन कौम ब्राह्मण सा0देह के नाम दर्ज हुए थे। ग्राम जाजोता की जमाबंदी में संवत 2041 के खाता संख्या 28 में ख0न0 107 रकबा 46 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी 1 कन्हैयालाल पुत्र रामधन, सम्पतलाल पुत्र रघुनाथ कौम ब्राह्मण हिस्सा 1/4 मु. मूलकंवर बैवा नाथूसिंह कौम राजपूत हिस्सा 3/4 खातेदार दर्ज था जिसमें वर्किंग जमाबंदी में जरिये नामान्तकरण संख्या 174 से बैचान से ख0न0 107 रकबा 46–01 बीघा में से ख0न0 107/1 रकबा 22–10 बीघा भूमि क्रेता प्रभुदयाल पुत्र रामधन जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज हुआ व कन्हैयालाल पुत्र रामधन, सम्पतलाल पुत्र रघुनाथ कौ ब्राह्मण हिस्सा 1/2 मूलकंवर पत्नी नाथूसिंह कौम राजपूत हिस्सा 1/2 खातेदार के नाम ख0न0 107/2 रकबा 23–11 बीघा दर्ज हुआ तथा नामान्तरकरण संख्या 83 स्वीकृत दिनांक 27.07.1990 बैचान से ख0न0 107/2 रकबा 23–11 बीघा में से क्रेता गुलाबचन्द पुत्र रामधन कौम ब्राह्मण सा0देह खातेदार के नाम ख0न0 107/2/1 रकबा 08–10 बीघा अंकन हुआ। जिसके नवीन ख0न0 107/1 दर्ज हुये तथा मूलकंवर पत्नी नाथूसिंह कौम राजपूत के ख0न0 107/2/2 रकबा 03–05–10 बीघा दर्ज हुआ जिसके [illegible]0 107/2 दर्ज हुए एवं कन्हैयालाल पुत्र रामधन हिस्सा 1/2 व सम्पतलाल पुत्र रघुनाथ हिस्सा [illegible] ब्राह्मण के नाम ख0न0 107/2/3 रकबा 11–15–10 बीघा दर्ज हुए जिसके नवीन ख0न0 [illegible] दर्ज हुए जमाबंदी संवत 2061–64 के खाता नम्बर 149 में ख0न0 107/1 रकबा 22–10 बीघा [illegible]दयाल पुत्र रामधन कौम ब्राह्मण सा0देह खातेदार के नाम दर्ज थी जिसमें से जरिये नामान्तरकरण संख्या 680 स्वीकृत दिनांक 07.07.2005 के अनुसार खातेदार प्रभूदयाल पुत्र रामधन द्वारा बैचान करने पर क्रेता राधादेवी पत्नी रामकुमार कौम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

ढोली के नाम ख0न0 107/1/1 रकबा 06 बीघा दर्ज हुआ। जिसके नवीन ख0न0 107/5 दर्ज हुये एवं शेष भूमि ख0न0 107/1 रकबा 16–10 बीघा भूमि प्रभुदयाल पुत्र रामधन कौम ब्राह्मण सा0देह के नाम दर्ज हुए थे। इस प्रकार ख0न0 107 कुल रकबा 46–01 बीघा के उपरोक्तानुसार नवीन ख0न0 107/1, 107/2, 107/3, 107/4 व 107/5 रिकार्ड में दर्ज हुये है। रिकार्ड अनुसार वर्किंग जमाबंदी में नामा0 संख्या 174 व नामा0 संख्या 83 एंव 680 की पालना में ख0न0 107 में तरमीमें की गई है एवं नामान्तकरण अपने आप में सक्षम आदेश है। संवत 2027 के नक्शा लट्ठा में तरमीमें वर्किंग जमाबंदी में नामा0 संख्या 174 व इनसे बाद में चौसाला जमाबंदियों में दर्ज अंकन अनुसार नामा0 संख्या 83 व 680 की पालना में की गई है जो स्वयं एक सक्षम आदेश है व विधिक प्रावधान भी है। पूर्व नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं होने व वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीम होने से नक्शें में भिन्नता होना लाजमी है। मूल ख0न0 107 में तरमीम रिकार्ड अनुसार वर्किंग जमाबंदी में नामा0 संख्या 174 व वर्किंग जमाबंदी के बाद की जमाबंदियों में अंकन अनुसार नामा0 संख्या 83 एवं 680 की पालना में तरमीमें की गई है जो कि एक विधिक प्रावधान है एवं प्रार्थी द्वारा बताये गये ख0न0 107/4 के ए से बी भाग में तरमीम नहीं है, यह मूल खसरे की पुख्ता लाईन है जो भूप्रबन्ध विभाग द्वारा बनाकर जारी नक्शें में ख0न0 107/4 व मूल ख0न0 102 के बीच की पुख्ता लाईन है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। चूकि अप्रार्थी (तहसीलदार रूपनगढ) द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया है कि पूर्व नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं होने एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीम होने से नक्शे में भिन्नता होना लाजमी है, इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जाजोता के ख0न0 107/1 रकबा 16–10 बीघा भूमि का रिकार्ड एवं मौके अनुसार पुनः परीक्षण कर तरमीम शुद्धि करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। फैसल शुदा पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)